न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—217/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00289)

01. सेडूराम जाट पुत्र श्री भूराराम, जाट जाति जाट, निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर जिला जयपुर (मृतक दौराने अपील)
    1/1. कमली देवी पत्नी सेडूराम,
    1/2. रामस्वरूप पुत्र सेडूराज,
    1/3. लक्ष्मण पुत्र सेडूराम,
    1/4. सुरजन पुत्र सेडूराम,
    1/5. अनीता पुत्री सेडूराम पत्नी कृष्ण कुमार, समस्त जाति जाट निवासी ग्राम लूनियावास, पोस्ट सेवापुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
02. कमली पत्नी सेडूराम जाट जाति जाट निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।
03. मनफुली देवी पत्नी भगवान सहाय जाट जाति जाट निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।
04. बिदामी देवी पत्नी नरसीराम यादव, जाति अहीर निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।
05. सीतादेवी पत्नी मुरलीधर जाट जाति जाट निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।
06. कानी देवी पत्नी हरनाथ सिंह जाति जाट निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।
07. दिनेश कुमार पुत्र श्री हनुमान सहाय जाट जाति जाट निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. ओम कॅवर पुत्री भीव सिंह पत्नी प्रदीप सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी रूणीजा हाउस पृथ्वीराजपुरी कॉलोनी आर्दश नगर अजमेर, राजस्थान।
02. कैलाश कंवर पुत्री भींवसिंह पत्नी श्री अजीत सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी रूणीजा हाउस पृथ्वीराजपुरी कॉलोनी आर्दश नगर अजमेर राजस्थान।
03. विनोद कंवर पुत्री भींव सिंह पत्नी दलीप सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम रूण्डल तहसील आमेर जिला जयपुर। हाल निवासी मकान नम्बर 930 गांधीपुरा गली नम्बर 5 बी.जे.एस कॉलोनी जोधपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

04. नरपत सिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपूत हाल निवासी 947/40 पृथ्वीराजपुरी कॉलोनी आर्दश नगर अजमेर राजस्थान।
05. हरीसिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपूत हाल निवासी 947/40 पृथ्वीराजपुरी कॉलोनी, आर्दश नगर अजमेर राजस्थान।
06. पन्नेसिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपूत केयार ऑफ ए,ई,एन ऑफिस अजमेर विधुत वितरण निगम लि. नावां शहर जिला नागौर, राजस्थान।
07. मंजू कंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह,
08. भानुप्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

09. भरत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, समस्त जाति राजपूत निवासी केयर ऑफ विजेन्द्र सिंह तंवर निवासी 90, ए आनन्द विहार आपणी ढाणी होटल के पीछे सीकर रोड़ जयपुर।
10. हिम्मत सिंह पुत्र भींव सिंह जाति राजपूत हाल निवासी जय अम्बे आर्ट नीमराणा जिला अलवर, राजस्थान।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

उपस्थितिः–

1. **श्री एन.के. यादव, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 03.11.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण रेस्पोडेन्ट को साक्ष्य समर्थन व सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना ही तथा अपील अधीन आराजीयात के वर्तमान में भू अभिलिखत खातेदारान काश्तकार को बिना साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई का अवसर दिये ही पत्रावली में बिना सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाये लोक अदालत कैम्प जालसू में अवैध रूप से उभयपक्ष पक्षकारान की उपस्थिति दर्शाते हुये पूर्ण रूपेण विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 पारित किया है, जो विधि विधान एवं संचिका पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य–सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया तथा ना ही रेस्पोडेन्टान ने अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष फरीकेन पक्षकार मुकदमा ही सरीक किया गया जबकि वर्तमान में अपील अधीन आराजीयात के अपीलार्थीगण उपरोक्त मुतदविया आराजीयात के पंजीकृत विक्रय के माध्यम से भू अभिलिखत खातेदार काश्तकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन नामान्तरकरण से प्रभावित होने वाले किसी भी वर्तमान भू अभिलिखित खातेदार काश्तकार को पक्षकार मुकदमा नही बना कर उनको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना जाना उचित नही समझते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर पारित किया है जबकि विधि की यह सुस्पष्ट मंशा है कि किसी भी आदेश अथवा निर्णय को पारित किये जाने से पूर्व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

उससे प्रभावित होने वाले सभी पक्षों को सुना जाना कानूनन आवश्यकीय होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त की तोहीन करते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्ण रूप से अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्टान के पूर्वज भींव सिंह पुत्र मेघसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की सहमति से विरासती नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 10 के पक्ष में 2002 में तस्दीक किया गया था तथा उक्त नामान्तरकरण तस्दीक होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 10 ने अपने हिस्सेनुसार राजस्व भू अभिलेखों मे जर्द अपीलाधीन आराजीयात खसरा नम्बर 28/1, 28/1843, 29/1, 67/2062, 67/2724, 127/2050 कुल किता 6 कुल रकबा 7.68 हैक्टयर में से हिस्सा 518/768 को जरिये पंजीकृत विक्रिय पत्र दिनांक 12.09.2007 को अपीलार्थी संख्या 6 को विक्रय हस्तान्तरण कर कब्जा सौप दिया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने दिनांक 20.04.2010 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपना हिस्सा 1/6 में से हिस्सा 3/10 रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय हस्तान्तरण कर दिया था तथा शेष रही आराजीयात को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 10 ने आपसी सहमति से विधिक तकासमा करवाते हुये अलग–अलग पर्चे व खाते तहरीर व तकमील करवा लिये तथा बाद तकासमा प्रत्येक सहखातेदार का पृथक–पृथक खातेदार जरिये नामान्तरकरण संख्या 664 दिनांक 13.10.2011 को तस्दीक किये जा चुके था, उक्त तकासमा तथ्यों की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की बखुबी जानकारी होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण क्रेतागण को फरीकेन पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर काई न्यायिक विवेक ही लगाये कि सह खातेदारान के मध्य बाद तकासमा होने के पश्चात् ऐसी अपील किसी भी अवस्था में टिनेबल नही होने के बावजूद भी अवैध अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट की अपील को स्वीकार करने मे अहम कानूनी भूल किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु. जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2018 बउनवानी ओमकंवर व अन्य बनाम नरपत सिंह व अन्य में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. भींवसिंह पुत्र मेघसिंह की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत ने मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच किये बिना ही केवल खातेदार के पुत्रों के नाम से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 मृतक खातेदार भींवसिंह की जायन्दा पुत्रीयॉ है तथा मृतक की आराजी में

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उनका भी जन्म से हक हकूक अधिकार है किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बिना विरासत की जॉच किये ही नामान्तरकरण संख्या 97 वाके ग्राम रूण्डल दिनांक 09.12.2002 स्वीकार किया गया जो विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरस्तनीय ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को उनके भाईयों द्वारा किसी प्रकार का बेचान किया गया है तो इससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 किसी प्रकार से बाध्य नही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को उनके हक, हकूक अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतु रिमाण्ड ही किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट की लोकस स्टेण्डाई जाहिर होती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी के खातेदार भींवसिंह पुत्र मेघसिंह की जायन्दा पुत्रीयॉ है तथा वादग्रस्त आराजी के खातेदार भींवसिंह की मृत्यु पश्चात् उनकी विरासत के नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच नही की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 द्वारा प्रकरण तहसीलदार आमेर को रिमाण्ड किया गया है ऐसे में अपीलान्ट अपना पक्ष तहसीलदार आमेर के समक्ष रखकर अपने हक, हकूक अधिकारों की चाराजोही कर सकते है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 में किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 को यथावत रखा जाता है

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।